



# मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना

(समय-संगठित श्रमिक, श्रम विभाग)

असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिये आवेदन पत्र

(म.प्र. असंगठित कर्मकरा कल्याण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत)

1. आवेदक का संपाद आई जी :   
12/06/201
2. आवेदक का नाम :
3. पिता/पत्नी का नाम :
4. जन्म दिनांक :
5. अक्षांश नम्बर (चरित हो तो) :
6. प्राकृतिक नम्बर (चरित हो तो) :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

- मैं असंगठित क्षेत्र में नियोजित हूँ तथा म.प्र. असंगठित कर्मकरा कल्याण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ।
- मैं किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ, जिसमें सामयिक भुगतान हितसम्बन्धित अधिकार विधि अति प्राप्त हो रहे हो।
- मैं अपचक्र दाता नहीं हूँ।
- मेरे पास एक हेक्टेयर या अधिक कृषि भूमि नहीं है।

मैं सत्यवित्त करता/करती हूँ कि ये द्वारा दी गई जानकारी सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर